

प्रेस विज्ञप्ति

थाना जहानागंज

जहानागंज क्षेत्रान्तर्गत बैंक मित्र से लूट करने वाले 02 बदमाश मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार; 02 अवैध असलहा, 02 खोखा करतूस, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 बाइक तथा लूट के 01 मोबाइल फोन व 75000/- रुपये बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 02.06.2024 को वादी मुकदमा प्रशान्त पाण्डेय उर्फ राकू S/O स्व0 दुर्गा प्रसाद पाण्डेय ग्राम बहवल थाना मेहनगर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिंहपुर में बैंक मित्र है जिसकी चक्रपानपुर बाजार में निधी पुस्तक भण्डार के नाम से दुकान है। वादी अपनी दुकान बन्द करके एकौना - हैदराबाद (सिसवा) रोड से घर जा रहा था कि कब्रिस्तान के पास तीन लड़को ने रोका और असलहा सटाकर मोबाइल, गाड़ी की चाभी व बैग छिन लिये जिसमें करीब 03 लाख रुपये नकद, 02 डिवाइस मशीन, 01 ए.टी.एम. डिवाइस रजिस्टर, ड्रेस और बैंक के कुछ कागजात थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 270/2024 धारा 392 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दुबे द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ का विवरण- आज दिनांक 13.06.2024 को प्रभारी निरीक्षक जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय हमराह चक्रपानपुर चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वार सूचना प्राप्त हुयी कि दिनांक 02.06.2024 को एकौना- हैदराबाद रास्ते पर हुई लूट की घटना में सम्मिलित बदमाश मोटरसाइकिल से डीहा से चक्रपानपुर की तरफ आ रहे है तथा किसी घटना को अंजाम देने कि फिराक में हैं। इस सूचना पर निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दुबे मय हमराह व उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह को डीहा चक्रपानपुर मार्ग पर पहुंचने हेतु अवगत कराया गया तथा प्रभारी निरीक्षक जहानागंज व चौकी प्रभारी उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय हमराह खुदवल पहुंचे जहां पहुंचकर पुलिस बल द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग प्रारम्भ की गयी कि थोड़ी देर पश्चात् 02 मोटरसाइकिल डीहा की तरफ से आती हुई दिखाई दी जिसे पुलिस बल द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो उक्त मोटर साइकिल सवारों ने पुलिस बल को देखकर मोटरसाइकिल को पीछे मुड़ाकर भागने का प्रयास किया तथा 01 मोटरसाइकिल सवार तेजी से मोड़ने के प्रयास में फिसलकर गिर गया तथा दूसरा मोटरसाइकिल सवार बदमाश पुलिस बल को लक्ष्य बनाकर फायरिंग करते हुए भागने लगा तभी द्वितीय मोबाइल में लगे उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह पहुंचे जिनको मोटरसाइकिल पर भाग रहे बदमाशों का पीछा करने हेतु बताया गया। सड़क पर मोटरसाइकिल सहित गिरे दोनो बदमाश पकड़े जाने की डर से खेत में चले गये तथा पुलिस बल को जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगे। पुलिस बल द्वारा पर्याप्त चेतावनी के पश्चात् आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें दोनो बदमाश के पैर में गोली लगी।

➡ घायल बदमाश 1-विशाल यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी सिसवां बछवल थाना मेहनगर आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष व 2- आकाश शर्मा उर्फ आर्यन पुत्र प्रहलाद शर्मा निवासी चौबेपुर मटियवना थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष दोनो के दाहिने पैर में गोली लगी है। जिन्हे समय करीब 01:50 बजे हिरासत में लेकर ईलाज हेतु जिला अस्पताल आजमगढ़ रवाना किया गया।

➡ मौके से 02 देशी तमन्चा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 बाइक व लूट का मोबाइल फोन बरामद हुआ तथा लूट के पैसे घायल बदमाश विशाल से 37,000/- रुपये व आकाश शर्मा उर्फ आर्यन से 38,000/- रुपये बरामद हुए।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 295/24 धारा 307, 34, 420 भादवि0 व 3/25 A.Act पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण- घायल बदमाशों ने बताया कि प्रशान्त पाण्डेय निवासी ग्राम बछवल की चक्रपानपुर चौराहे के पास निधि पुस्तक भंडार के नाम से दुकान है और वह बैंक मित्र का भी काम करता है, जिसके पास 02-03 लाख रुपये हमेशा रहते है। इस बात की जानकारी बदमाशों ने की और योजना बनाकर मौके की तलाश करने लगे। दिनांक 02.06.2024 को शाम करीब 07.00 बजे 1- विशाल, 2-आकाश उर्फ आर्यन, 3-साजन तिवारी पुत्र बेलचन्द तिवारी निवासी चकिया भटौली थाना जहानागंज आजमगढ़, 4-अनीश हाशमी पुत्र अलाउद्दीन हाशमी निवासी बरहतिर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़, 5-शैलेश यादव पुत्र श्यामकेर यादव निवासी इनवल थाना मेहनगर आजमगढ़, 6-ज्ञानप्रकाश यादव उर्फ विज्ञानी पुत्र नन्दलाल यादव निवासी ग्राम इनवल थाना मेहनगर आजमगढ़, 7- धनंजय गिरी पुत्र स्व0 रामकिशुन गिरी निवासी बछवल थाना मेहनगर आजमगढ़ ने मिलकर प्रशान्त पाण्डेय से मोबाइल, गाड़ी की चाभी व बैग छिन लिया था जिसमें करीब 03 लाख रुपये नकद, 02 डिवाइस मशीन, 01 ए.टी.एम. डिवाइस रजिस्टर, ड्रेस और बैंक के कुछ कागजात लूट लिये थे।

➔ दिनांक 02.06.2024 को शाम करीब 7:00 बजे 1-विशाल, 2-आकाश उर्फ आर्यन, 3-साजन तिवारी पुत्र बेलचन्द तिवारी निवासी चक्रिया भटौली थाना जहानागंज आजमगढ़, 4-अनीश हाशमी पुत्र अलाउद्दीन हाशमी निवासी बरहतिर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़, 5-शैलेश यादव पुत्र श्यामकेर यादव निवासी इनवल थाना मेंहनगर आजमगढ़, 6-ज्ञानप्रकाश यादव उर्फ विज्ञानी पुत्र नन्दलाल यादव निवासी ग्राम इनवल थाना मेंहनगर आजमगढ़, 7- धनंजय गिरी पुत्र स्व0 रामकिशुन गिरी निवासी बछवल थाना मेंहनगर आजमगढ़) अपने-अपने घर से बछवल पुलिया पर उपस्थित हुए। योजना बनाकर प्रशान्त पाण्डेय की रैकी करने के लिए विशाल, अनीश, हाशमी, शैलेश यादव की बाइक से निकले। अनीश, आकाश शर्मा व शैलेश यादव को प्रशान्त पाण्डेय की अपनी दुकान से रुपयो भरा बैग लेकर अपने घर की तरफ जाने की सूचना दे रहा था। शैलेश यादव, आकाश शर्मा और साजन तिवारी सुनसान स्थान पर घटना कारित करने के लिए ग्राम एकौना में सुनसान स्थान पर खडे थे और थोड़ी ही दूर पर ज्ञानप्रकाश यादव उर्फ विज्ञानी बाइक लेकर खड़ा था। जैसे ही प्रशान्त पाण्डेय मोटरसाइकिल से अपने घर ग्राम बछवल को समय ग्राम एकौना के सुनसान स्थान पर पहुंचा तो शैलेश यादव, आकाश शर्मा व साजन तिवारी अपने अपने हाथों में असलहा दिखाकर प्रशान्त पाण्डेय की बाइक को रोक लिये और बाइक की चाबी निकाल कर प्रशान्त पाण्डेय का मोबाइल और करीब 03 लाख रुपयो से भरा बैग छीनकर इनवल पुलिया के पास पहुंचे। विशाल, अनीश और हाशमी भी बाइक से इनवल पुलिया पहुंचे। ज्ञानप्रकाश यादव उर्फ विज्ञानी भी इनवल पुलिया पर पहुंचा। वही पर शैलेश यादव ने बिना गिने बैग से रुपया निकालकर आकाश शर्मा को तीनों लोगो में बाटने के लिए दे दिया और प्रशान्त पाण्डेय का मोबाइल भी आकाश शर्मा ही अपने पास रख लिया। शेष रुपये और प्रशान्त पाण्डेय के कुछ सामान/कागज, मशीन आदि शैलेश यादव ने अपने पास रख लिया। जहां से आकाश शर्मा, साजन तिवारी और अनीश हाशमी अपने घर चले गये और शैलेश ने बिना गिने कुछ रुपया निकालकर ज्ञानप्रकाश यादव उर्फ विज्ञानी को देते हुए बोला कि तुम यहां से अपने घर चले जाओ और किसी से कुछ बताना मत। विशाल और शैलेश यादव बाइक से अपने साथी धनंजय गिरी (बीडीसी) के घर गये और पूरा घटनाक्रम बताये। शेष रुपयो से कुछ रुपया धनंजय गिरी को भी दिया। इसके बाद विशाल शैलेश व धनंजय गिरी तीनों लोग रात में गांव की एक महिला जो, बेलइसा के एक हास्पिटल में एडमिट थी, उनको देखने चले गये। शैलेश यादव व धनंजय गिरी ने महिला की देखभाल के लिये विशाल यादव को हास्पिटल में छोड़ दिया और घर चले गये, भोर में विशाल अपने घर चला गया।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं.- 295/24 धारा 307, 34, 420 भादवि व 3/25 A.Act थाना जहानागंज आजमगढ़।

गिरफ्तारी अभियुक्त-

- 1- विशाल यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी सिसवां बछवल थाना मेंहनगर आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।
- 2- आकाश शर्मा उर्फ आर्यन पुत्र प्रहलाद शर्मा निवासी चौबेपुर मटियवना थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

विशाल यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी सिसवां बछवल थाना मेंहनगर आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

- 1-मु.अ.स. 270/24 धारा 395/412/120बी भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2-मु.अ.स. 295/24 धारा 307, 34, 420 भादवि व 3/25 A.Act थाना जहानागंज आजमगढ़
- 3-मु.अ.स. 48/2022 धारा 392/411/34 भादवि थाना मेहनगर आजमगढ़
- 4-मु.अ.स. 50/22 धारा 307 भादवि थाना मेहनगर आजमगढ़
- 5-मु.अ.स. 51/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मेहनगर आजमगढ़।

आकाश शर्मा उर्फ आर्यन पुत्र प्रहलाद शर्मा निवासी चौबेपुर मटियवना थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ उम्र करीब 21

वर्ष

- 1-मु.अ.स. 270/24 धारा 395/412/120बी भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़।
- 2-मु.अ.स. 295/24 धारा 307, 34, 420 भादवि व 3/25 A.Act थाना जहानागंज आजमगढ़।

बरामदगी- देशी तंमचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 मोटर साइकिल, लूट का मोबाइल फोन, लूट के कुल 75000/- रुपये (37000 रूपया विशाल के पास से व 38000 रूपया आकाश के पास से)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र.नि. जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता, निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र दूबे, उ.नि. ओमप्रकाश यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
- 2- हे.क. सुभाष चन्द्र यादव, हे.का. दिनकर कुशवाहा, हे.का. सियाकान्त यादव, का. राजकुमार गुप्ता, का0 राकेश वर्मा, का. हरेन्द्र सिंह, का. पवन सिंह, का. शुभम सिंह थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
- 3- उ.नि. मुरारी मिश्रा चौकी प्रभारी चक्रपानपुर, हे.का. प्रमोद यादव, का. आलोक कुमार चौकी चक्रपानपुर थाना जहानागंज आजमगढ़।